उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-10/2018/78(1)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(292)/2017

लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2018

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के नियम-2 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को उक्त नियमावली के नियम-12, 13 एवं नियम-19 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए प्राधिकृत करने विषयक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-07/2018/78/94-स्टा0नि0-2-2018-700(292)/2017, दिनांक 04-04-2018 (प्रति संलग्न) के अंग्रेजी संस्करण में त्रुटिवश चौथी पंक्ति में नियम-19 का उल्लेख नहीं हो सका है।

अत: चौथी पंक्ति में नियम-19 को सम्मिलित करते हुए इसे निम्न रूप में पढ़ा जाय:-

under rule-12, 13 and rule 19 sub-rule (1) of rule

2. उक्त निर्गत अधिसूचना दिनांक 04-04-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(लालू)

संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2018/78(1)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(292)/2017, दिनांक 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि:- शुद्धि-पत्र की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 23-04-2018 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)

संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2018/78(1)/94-स्टा0नि0-2-2018-700(292)/2017, दिनांक 23 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(10) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(11) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-07/2018/78/94-स्टा0नि0-2-2018-700(292)/2017

लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 के नियम-2 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश को उक्त नियमावली के नियम-12, 13 एवं नियम-19 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.07/2018/78/94-S.R.-2-2018-700(292)/2017, Dated, 04 April, 2018

Notification

Order

No.07/2018/78/94-S.R.-2-2018-700(292)/2017

Lucknow Dated, 04 April, 2018

In exercise of the powers under clause (c) of sub rule (1) of rule 2 of the Uttar Pradesh E-Stamping Rules, 2013, the Governor is pleased to authorise the Commissioner of Stamp, Uttar Pradesh to discharge the duties of Appointing Authority under rule-12, 13 and sub-rule (1) of the said rules.

By order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।